



Neutral Citation No. - 2026:AHC:46989

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3214/2026

देवेंद्र सिंह

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सतेंद्र कुमार

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सतेंद्र कुमार और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना।
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता के पिता रामेश्वर (दिवंगत), लोक निर्माण विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, जिनका 31.12.2006 को देहांत हो गया। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रतिवादियों से संपर्क किया था और इस संबंध में पहला अनुरोध पत्र 10.03.2007 को प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुसार, उसके दावे पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
- इस याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।
- दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि चाहे जो भी हो, याचिकाकर्ता ने अपने पिता की मृत्यु के 20 वर्ष से अधिक समय बाद और वर्ष 2007 में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लगभग 19 वर्ष बाद इस न्यायालय का रुख किया है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. मैंने बार के समक्ष दिए गए सभी निवेदनों को सुना है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।
6. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता के पिता लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी थे जिनका निधन 31.12.2006 को हुआ था और याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए 10.03.2007 को आवेदन दिया था।
7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से यह पूछे जाने पर कि अत्यधिक और अस्पष्ट विलंब के बाद न्यायालय में आने का क्या कारण था, उत्तर यह है कि याचिकाकर्ता पहले भी न्यायालय में आते थे, लेकिन उन्हें आश्वासन दिए जाते थे। दुर्भाग्य से, यह स्पष्टीकरण विचारणीय नहीं है, विशेषकर अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित मामलों में। अनुकंपा नियुक्ति भर्ती के सामान्य नियम का अपवाद है और अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देने के लिए सर्वोपरि विचारणीय तथ्यों में से एक यह है कि मृतक का परिवार निर्धन था या नहीं।
8. चूंकि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता अपने पिता की मृत्यु के बाद लंबे समय तक बनी रही परिस्थितियों से बच नहीं सका और दी गई व्याख्या संतोषजनक नहीं है, इसलिए न्यायालय इस मामले को हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त नहीं मानता। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के पक्ष में विधि और न्याय दोनों को झुकाने के लिए अभिलेख पर कोई विशिष्ट दलीलें या दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।
9. तदनुसार, रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

9 मार्च, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।